फर्द अहकाम
नियम 26
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश, सूरतगढ
रामप्यारी व अन्य बनाम राज.सरकार व कृपालराम व अन्य

किस्म मुकदमाः– दावा अर्न्तगत धारा 88 –209 आर.टी.ए. दावा संख्या :– 44/2016

09.02.2024

उभयपक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हूऐ निवेदन किया कि जैर प्रकरण मे वादीगण ने चक 3 आर जे एम के पत्थर न 161/4 के किला न 10–11–20–21 के 1.012 हैक रकबा को पुर्व 55 का घोषीत करवाकर राजस्व रिकार्ड मे आराजी राज से कलमजन कर अपने नाम दर्ज करवाने का दावा पेश किया है जो दौरान वाद पत्र र्जर प्रकरण तमाम रकबा स्माल पेच ऑवटन पत्रावली न 08/2012 बअनवान रामचन्द्र बनाम कृपाल आदि मे प्रार्थी कृपाल को दिनांक 06.01.2015 से स्माल पेच मे ऑवटन अधिकारी सूरतगढ से ऑवटित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के नाम दर्ज हो गया है तथा इस ऑवटन आदेश के विरूध अपील न 02/2015 व 13/2015 पेश हुई तथा वादीगण का दावा भी दिनांक 06.01. 2015 को खारीज हो गया था। जिसके विरूध अपील न 05/2015 पेश हूई । श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील न 02/2015 व 05/2015 दिनांक 14.01.2016 को स्वीकार कर प्रार्थी का ऑवटन निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड कर दिया , जिसके विरूध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे निगरानी न 545/2016 बअनवान कृपालराम बनाम रामप्यारी आदि जैरकार है तथा इस निगरानी मे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 14.01.2016 की पालना स्थगित रखी हुई है व निगरानी आज भी जैर कार है इसलिये वादीगण के दावा मे वर्णीत रकबा व स्माल पेच मे ऑवटन रकबा एक ही है इसलिये जब तक माननीय बोर्ड मे निगरानी का अंतिम निर्णय नही हो जाता तब तक इस वाद पत्र की पत्रावली को पैन्डिग रखा जावे।

अप्रार्थी /वादीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का कोई जबाब प्रस्तुत नही किया व निगरानी निरस्त होने को कोई साक्ष्य पेश नही किया व प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभय पक्ष की बहस सुन कर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया । यह बात सही है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे जैरकार निगरानी व इस वाद पत्र मे अंकित रकबा एक ही रकबा है तथा यह पत्रावली माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2016 से रिमाण्ड है तथा राजस्व मण्डल मे राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश के विरूध निगरानी जैर कार व स्थगन भी इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इस प्रकरण को हम पेण्डिग करना उचित समझते है ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर इस वाद पत्र की पत्रावली को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे जैरकार निगरानी न 545/2016 अनवान कृपाल बनाम रामप्यारी के अन्तिम निर्णय तक आगामी कार्यवाही रोकी जाकर पत्रावली पेण्डिग किया जाता है, व निगरानी मे निर्णय के पश्चात निगरानी निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही करवाने के लिये पक्षकार स्वतन्त्र रहेगे। तब तक पत्रावली दफतर दाखिल हो ।

फैसला खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)